UPSI010078452025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं0 3/विशेष न्यायाधीश एन०डी०पी०एस० एक्ट सीतापुर।

प्रकीर्ण दाण्डिक वाद सं०.–7273/2025

शिवानंद उर्फ विकास राठौर बनाम सरकार

मु०अ०सं०–87/2025
धारा–103(1),61(2)ए,बी०एन०एस०
थाना महोली, जिला सीतापुर।

04.05.2026

<u>निस्तारण रिलीज प्रार्थना–पत्र</u>

प्रार्थी शिवानन्द उर्फ विकास राठौर द्वारा वास्ते रिलीज किए जाने फर्द बरादमगी सामान प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्त का उक्त वाद न्यायालय के के समक्ष विचाराधीन है। प्रार्थी उक्त वाद का अभियुक्त है। प्रार्थी/अभियुक्त को थाना महोली की पुलिस के द्वारा कार्यदेव बाबा मंदिर पर गिरफ्तार करने के समय उसके पास से उक्त सामान एक रियलमी मोबाइल फोन एण्ड्रायड व एक आई फोन एण्ड्रायड मोबाइल दो अदद पीली धु की चैन, चार अदद अंगूठी पीली धातु, एक अदद थाली सिल्वर धातु, एक छोटी कटोरी सिल्वर धातु, एक ज्योति सिल्वर धातु एक टूटा चम्मच गोल्डन पालिस तथा 35 अदद सिक्के सिल्वर धातु तथा एक अदद चैन पर लैदर बैग जो पुलिस के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त से बरामद किया गया था जो उक्त सामान पुलिस के पास है जो प्रार्थी/अभियुक्त का है जिसे प्रार्थी रिलीज कराना चाहता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त फर्द में बरामद सामन उसके पक्ष में रिलीज करने की याचना की गयी है।

संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0 अ 0 स 0 87/2025 धारा 103(1)/61(2) (A) बीएनएस की विवेचना मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा की जा रही है मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित्त प्रकाश में आये अभियुक्त शिवानन्द उर्फ विकास राठौर पुत्र केशवराम निवासी ग्राम अहाता कप्तान हबीबपुर थाना रामकोट जनपद सीतापुर हाल पत्ता कार्यदेव बाबा मन्दिर ग्राम कचूरा थाना महोली सीतापुर के दौरान गिरफ्तारी जामा तलाशी से सम्बन्धित माल एक अदद मोबाइल फोन एण्ड्रायड रियलमी कम्पनी का है जिसका रंग सिल्वर कलर जिसके पीछे लगे चिपपक पर IMEI: 861025061840315, IMEI2: 861025061840307 है मोबाईल पर काले रंग का प्लास्टिक का कवर चढा व एक अदद मो० फोन व रंग आसमानी ग्रे, जिसके पीछे Iphone का लोगों बना तथा पारदर्शी कवर लगा व दो अदद पीली धातु की चैन, चार अदद अंगूठी पीली धातु एक अदद थाली सिल्वर धातु, एक अदद लोटा सिल्वर धातु, एक अदद जल पात्र सिल्वर धातु, एक छोटी कटोरी सिल्वर धातु, एक ज्योति सिल्वर धातु, एक टूटा चम्मच जिसमे गोन्डन पालिश व 35 अदद सिक्के सिल्वर धातु व एक अदद चैनदार लैदर बैग बरामद हुआ था बरामद माल को कब्जा पुलिस मे लेकर बरामद मोबाइल पर अभियुक्त का नाम अंकित कर एक पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर कपडे का टेप लगाकर सील सर्व मोहर किया गया तथा बरामद रुपया धनराशि को अभियुक्तत्वार अलग– 2 पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर कपडे के टेप से सीन सर्व मोहर किया गया था व बरामद पीली धातु की चैन व अंगूठियों को एक गोल पारदर्शी प्लास्टिक डिब्बे में रखकर कपडे के टेप से सील सर्व मोहर किया गया तथा बरामद 35 अदद सिक्के सिल्वर धातु को एक चौकोर पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर कपडे के टेप से सील सर्व मोहर किया गया बरामद लोटा, थाली, कटोरी, जलपात्र, ज्योति व टूटी चम्मच को बरामद लैदर के बैग में रखकर चैन बन्द कर

एक सफेद कपड़े में रखकर सिलकर सील मोहर कर मालगृह में रखा है जो अभियुक्त शिवानन्द उर्फ विकास राठौर के जामा तलाशी का माल है जिसका उक्त अभियोग से कोई सरोकार नहीं है इसलिए माल जामा तलाशी से मिले एक अदद मोबाइल फोन एण्ड्रायड रियलमी कम्पनी का जिसका रंग सिल्वर कलर जिसके पीछे लगे चिपक पर IMEI: 861025061840315, IMEI2: 861025061840307 है मोबाईल पर काले रंग का प्लास्टिक का कवर चढा, व एक अदद मो० फोन व रंग आसमानी ग्रे, जिसके पीछे Iphone का लोगों बना तथा पारदर्शी कवर लगा व दो अदद पीली धातु की चैन, चार अदद अंगूठी पीली धातु, एक अदद थाली सिल्वर धातु, एक अदद लोटा सिल्वर धातु, एक अदद जल पात्र सिल्वर धातु, एक छोटी कटोरी सिल्वर धातु, एक ज्योति सिल्वर धातु, एक टूटा चम्मच जिसमे गोल्डन पालिश व 35 अदद सिक्के सिल्वर धातु व एक अदद चैनदार लैदर बैग को अवमुक्त करने में कोई आपत्ति नही है।

अभियोजन की ओर से उक्त रिलीज प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया है कि श्रीमान जी प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया जाता है। मुकदमें में उक्त माल माल मुकदमा है। उक्त माल की रिलीज न्यायोचित नहीं होगी। अतः प्रार्थना पत्र को खारिज करने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुकदमा अपराध संख्या–87/2025, धारा–103(1),61(2)ए,बी०एन०एस०, थाना–महोली, जनपद–सीतापुर के प्रकरण में पुलिस द्वारा बरामद किये एक अदद मोबाइल फोन एण्ड्रायड रियलमी कम्पनी का जिसका पीछे लगे चिपक पर IMEI: 861025061840315, IMEI2: 861025061840307 है मोबाईल पर काले रंग का प्लास्टिक का कवर चढा व एक अदद मो० फोन व रंग आसमानी ग्रे, जिसके पीछे Iphone का लोगों बना तथा पारदर्शी कवर लगा व दो अदद पीली धातु की चैन, चार अदद अंगूठी पीली धातु, एक अदद थाली सिल्वर धातु, एक अदद लोटा सिल्वर धातु, एक अदद जल पात्र सिल्वर धातु, एक छोटी कटोरी सिल्वर धातु, एक ज्योति सिल्वर धातु, एक टूटा चम्मच जिसमे गोल्डन पालिश व 35 अदद सिक्के सिल्वर धातु व एक अदद चैनदार लैदर बैग प्रार्थी ने अपने हक में दिये जाने की याचना किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी प्रथम दृष्टया इस वादग्रस्त बरामद पीली धातू व सफेद धातू के आभूषणों का दावेदार है एवं अन्य किसी की ओर से कोई दावेदारी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है। इस न्यायालय के मत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य 2002, 10 एस0सी0सी0 283** के आलोक में उपरोक्त बरामदशुदा पीली धातू व सफेद धातू के आभूषण वापस नही किये जाते हैं तो इससे उनकी उपयोगिता नष्ट होने की सम्भावना है। उक्त परिस्थिति में बरामदशुदा पीली धातू व सफेद धातू के आभूषण प्रार्थी के पक्ष में शर्ताधीन अवमुक्त किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिलीज़ प्रार्थना–पत्र निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी मु० 10,00,000/– रु० (दस लाख रुपये) की एक प्रतिभू एवं समान धनराशि का एक व्यक्तिगत बंध–पत्र दाखिल करने पर उपरोक्त मामले में बरामद की गई वस्तुएं व मोबाइल निम्लिखित शर्तों के अधीन प्रार्थी के पक्ष में रिलीज़ की जाती हैं –

3. प्रार्थी इस आशय की एक वचनबद्धता (अण्डर्टेकिंग) देगा कि –
    i. प्रार्थी दौरान मुकदमा उक्त वस्तुओं को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा
    ii. प्रार्थी दौरान मुकदमा उक्त वस्तुओं के रंग, स्वरूप, प्रकृति, बनावट व शुद्धता में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।
    iii. प्रार्थी दौरान मुकदमा कभी भी उक्त वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने पर उन्हें न्यायालय के समक्ष अपने खर्चे पर प्रस्तुत करेगा।
    iv. यदि उक्त वस्तुओं के संदर्भ में अन्य कोई व्यक्ति अपना स्वामित्व सिद्ध करने में सफल रहता है तो प्रार्थी उक्त वस्तुओं को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सुपुर्द करेगा।

4. थानाध्यक्ष महोली को आदेशित किया जाता है कि –

   i. वह प्रार्थी की पहचान सुनिश्चित कर, प्रार्थी की उपस्थिति में, उक्त वस्तुओं का विस्तृत व उचित पंचनामा तैयार किया जाना तथा उक्त पंचनामा पर प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें एवं वह उक्त वस्तुओं की तस्वीरें लिया जाना तथा उक्त तस्वीरों को स्वयं एवं प्रार्थी द्वारा प्रमाणित तथा प्रतिहस्ताक्षरित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। तदुपरांत प्रार्थी की पहचान पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर उक्त वस्तुओं को प्रार्थी के पक्ष में अवमुक्त कर दें।

दिनांक 04.05.2026

(अवनीश कुमार–1)
विशेष न्यायाधीश एन०डी०पी०एस एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–3
सीतापुर।
(JO Code No.UP02737)

Awanish Kumar

Digitally signed by Awanish Kumar
Date: 2026.05.07 13:53:59 +05'30'